डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
(प्रशासनिक भवन : करवड़, नागौर रोड, जोधपुर)

क्रमांकः डॉ. एस.रा.रा.आ.वि./गोपनीय/2025/72 दिनांकः 17.01.2025

–: कार्यालय आदेश :–

डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा आयोजित विद्या परिषद् दिनांक 25.10.2024 एवं प्रबंध बोर्ड उपवेशन दिनांक 19.12.2024 में पारित सूचना का अधिकार-2005 से सम्बंधित निर्णय पारित किये गये जो निम्नानुसार है :-

1. विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस जोधपुर, मई 14, 2010 के बिन्दू संख्या O.25 के उपबिन्दू (4) में उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन परिणाम के पश्चात् नष्ट करने का प्रावधान होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित छात्रों को उत्तर-पुस्तिका दिए जाने हेतु परीक्षा परिणाम जारी होने के 15 दिवस अथवा पुनर्मूल्यांकन के 07 दिवस के अंतर्गत ही संबंधित सत्र की उत्तर-पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय द्वारा, वर्तमान में RTI के तहत उत्तर-पुस्तिका के अवलोकन हेतु संबंधित छात्र से प्रति उत्तर-पुस्तिका 1000/- रुपए फीस जमा कराने के उपरांत ही, उपलब्ध करवाई जा सकेगी एवं उत्तर-पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त होने के 07 दिवस के अंदर ही आपत्ति विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा इसके उपरांत कोई भी आपत्ति दर्ज/मान्य नहीं होगी। साथ ही, अंक गणना में त्रुटि एवं किसी प्रश्न के मूल्यांकन नहीं होने की स्थिति में ही आपत्ति मान्य होगी।

3. साथ ही, NCISM, New Delhi के नियमानुसार बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस. (बैच-2021 एवं उसके पश्चात् प्रवेशित) एवं NCH, New Delhi के नियमानुसार बी.एच.एम.एस. (बैच-2022 एवं उसके पश्चात् प्रवेशित) पाठ्यक्रम में पुनर्मूल्यांकन प्रावधान नहीं होने के फलस्वरूप प्रथम बार में ही 02 परीक्षकों द्वारा उत्तर-पुस्तिकाएं जॉच करवाने के पश्चात् औसत अंकों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किए जाते हैं। अतः संबंधित पाठ्यक्रम के छात्रों को RTI के तहत उत्तर-पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु दोनों परीक्षकों द्वारा प्रदत्त अंकों के अवलोकन हेतु पृथक्-पृथक् 1000/- रुपए प्रति उत्तर-पुस्तिका विश्वविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

अतः विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त पाठ्यक्रमों के आगामी समस्त परीक्षा परिणामों में विद्या परिषद् व प्रबंध मण्डल में पारित होने के फलस्वरूप उपरोक्त नियमानुसार ही RTI के तहत उत्तर-पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जा सकेगी। इसके उपरांत किसी भी परिस्थिति में उत्तर-पुस्तिका की छायाप्रति सूचना का अधिकार-2005 के तहत उपलब्ध नहीं कराई जावेगी।

17/1/25
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांकः डॉ.एस.आर.रा.आ.वि.वि./गोपनीय/2025/ 73 - 77 **दिनांकः** 17/1/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, डॉ. एस.आर. राज. आयुर्वेद वि.वि. जोधपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कुलसचिव महोदय, डॉ. एस.आर. राज. आयुर्वेद वि.वि. जोधपुर।
3. प्राचार्य समस्त संघटक एवं संबद्धता प्राप्त राजकीय व निजी महाविद्यालय/नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

17/1/25
परीक्षा नियंत्रक